



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 158-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 18, 2018 (BHADRA 27, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 सितंबर, 2018

संख्या 84/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और,—

- (i) हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 129/एसटी-2, दिनांक 22 नवंबर, 2017;
- (ii) हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 06 अप्रैल, 2018; तथा
- (iii) हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 75/जीएसटी-2, दिनांक 10 अगस्त, 2018,

का, सिवाय उन बातों के, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थी या करने का लोप किया गया था, अधिक्रमण करते हुए और परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिनका पूर्ववर्ती वित्त वर्ष या चालू वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक समग्र आवर्त है, को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं, जो नीचे यथा वर्णित विशेष प्रक्रिया का माल या सेवा या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए अनुसरण करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवा या दोनों के जावक प्रदाय, जो नीचे दी गई सारणी के खाना (2) में यथा विनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के खाना (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक की गई है, के ब्यौरों को हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, के प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत कर सकते हैं, अर्थात् :-

सारणी

क्रम संख्या	तिमाही, जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने हैं	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समयावधि
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई-सितंबर, 2017	31 अक्तूबर, 2018
2.	अक्तूबर-दिसंबर, 2017	31 अक्तूबर, 2018
3.	जनवरी-मार्च, 2018	31 अक्तूबर, 2018

क्रम संख्या	तिमाही, जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने हैं	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समयावधि
(1)	(2)	(3)
4.	अप्रैल-जून, 2018	31 अक्तूबर, 2018
5.	जुलाई-सितंबर, 2018	31 अक्तूबर, 2018
6.	अक्तूबर-दिसंबर, 2018	31 जनवरी, 2019
7.	जनवरी-मार्च, 2019	30 अप्रैल, 2019:

परंतु माल या सेवा या दोनों की जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 की तिमाही के लिए करदाताओं, जिन्होंने हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 73/जीएसटी-2, दिनांक 06 अगस्त, 2018, के निबंधनों में माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) प्राप्त कर ली है, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदाय के ब्यौरों को इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 31 दिसंबर, 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा ।

3. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 के मास के लिए, ब्यौरों या विवरणी, जैसी भी स्थिति हो, को प्रस्तुत करने की समय-सीमा बाद में राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी ।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th September, 2018

No. 84/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), (hereafter in this notification referred to as the said Act), and in supersession of –

- (i) the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 129/ST-2, dated the 22nd November, 2017;
- (ii) the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 47/ST-2, dated the 06th April, 2018; and
- (iii) the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 75/GST-2, dated the 10th August, 2018,

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons may furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely: -

Table

Serial No.	Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July - September, 2017	31st October, 2018
2	October - December, 2017	31st October, 2018
3	January - March, 2018	31st October, 2018

Serial No.	Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
4	April – June, 2018	31st October, 2018
5	July - September, 2018	31st October, 2018
6	October - December, 2018	31st January, 2019
7	January - March, 2019	30th April, 2019:

Provided that the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** to be filed for the quarters from July, 2017 to September, 2018 by the taxpayers who have obtained Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) in terms of Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 73/GST-2, dated the 6th August, 2018, shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 31st day of December, 2018.

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under Sub-section (2) of Section 38 and Sub-section (1) of Section 39 of the said Act, for the months of July, 2017 to March, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.